रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 668] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 17, 2000/आश्विन 25, 1922
No. 668] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2000/ASVINA 25, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2000

का. आ. 934(अ).— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात, एतद्द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 में फिर निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) स्कीम, 2000 होगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 में,

(i) खंड 3 में, उप खंड (2) के बाद निम्नलिखित उप खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत किसी भी नाम के अधिकारी संघों की सदस्यता के सत्यापन तथा तीसरी अनुसूची में उल्लिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर-कामगार कर्मचारी निदेशक की नियुक्ति हेतु नामों का पैनल प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के बाद अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (च)में उल्लिखित निदेशक को केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करके नामित किया जाएगा।"

(ii) दूसरी अनुसूची के बाद निम्नलिखित अनुसूची शामिल की जाएगी , अर्थात्:-

"तीसरी अनुसूची

[खंड 3(3) देखें]

केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारी संघों की सदस्यता संख्या के सत्यापन के लिए महा प्रबंधक के स्तर के बैंक अधिकारी को नामोद्दिष्ट करेगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें से सर्वाधिक संख्या किसमें है।

2. नमोद्दिष्ट अधिकारी बैंक के अधिकारी संघ से पहला नोटिस प्राप्त होने की तारीख से दस दिन के भीतर निर्धारित स्थान एवं समय पर तीन प्रतियों में विभिन्न शाखाओं एवं कार्यालयों के उन सदस्यों की सूची देने के लिए कहेगा, जिन्होंने मौजूदा अधिकारी कर्मचारी निदेशक का कार्यकाल पूरा होने या किसी अन्य कारण से पद रिक्त होने की तारीख से पिछले वर्ष के प्रथम छः महीनों की अवधि के दौरान कम से कम तीन महीनों का अंशदान चुका दिया हो । गणना की तारीख उस महीने का पहला दिन होगा, जिसमें मौजूदा अधिकारी कर्मचारी निदेशक का कार्य काल पूरा होता हो या किसी अन्य कारण से पद रिक्त हुआ हो। सूची प्राप्त होने पर नामोद्दिष्ट अधिकारी प्रत्येक अंचल/क्षेत्र के लिए उप महा प्रबंधक/सहायक महा प्रबंधक के स्तर के सत्यापन अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जो स्वयं या अपने द्वारा नामित अधिकारी द्वारा निम्नलिखित किसी एक या सभी रिकार्डों के आधार पर प्रत्येक अधिकारी संघ की सदस्यता संख्या का वास्तविक सत्यापन करेगाः-

(i) सदस्यता-सह-अंशदान रजिस्टर
(ii) रसीदों के प्रति - पन्ने (काउन्टर फौइल्स)
(iii) रोकड़ एवं खाते
(iv) बैंक खाते
(v) इसके संविधान की प्रति
(vi) पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि पंजीकृत है)
(vii) यदि संघ किसी अखिल भारत या राज्य संघ या केन्द्रीय संगठन से संबद्ध है तो संबद्धता प्रमाणपत्र एवं भुगतान की रसीदें
(viii) ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार को भेजी गई नवीनतम वार्षिक विवरणी की प्रति
(ix) पदधारियों की सूची, और
(x) कार्यवृत्त पुस्तक ।

3. अगर कोई संघ अपने सदस्यों की सूची एवं अन्य अभिलेख पेश करने में असफल होता है, नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा उसे एक दूसरा तथा अंतिम नोटिस (पंजीकृत डाक/पावती सहित) दिया जाएगा जिसमें दूसरे एवं अंतिम नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर निर्धारित स्थान एवं समय पर इसे इन दस्तावेजों को पेश करने के लिए कहा जाएगा । अगर ये दूसरी बार भी इन्हें पेश करने में असफल होते हैं, तो इनकी सदस्यता का सत्यापन करने के लिए और कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। तथापि, उन संघों के संबंध में जिन्होंने सूचियां एवं अभिलेख प्रस्तुत कर दिए हैं, सत्यापन अधिकारी इनकी जांच करेगा तथा उन सदस्यों की संख्या निकालेगा जिन्होंने तीन माह के अभिदान का भुगतान गणना करने की तारीख के पूर्ववर्ती 6 माह की अवधि के दौरान किया है। यह जांच 100 प्रतिशत की जाएगी तथा यह संबंधित संघ के पदधारियों के समक्ष की जाएगी, लेकिन यह जांच बैंक में अन्य संघों के प्रतिनिधियों अथवा पदधारियों के समक्ष नहीं की जाएगी। सदस्यता का सत्यापन करते समय सत्यापन अधिकारी संघ के पदधारियों द्वारा किए गए किसी भी अभ्यावेदन पर उचित विचार करेगा।

4. सत्यापन अधिकारी इसके उपरान्त नामोद्दिष्ट अधिकारी को संबंधित अंचल/क्षेत्र की अधिकारी संघों के सदस्यों की सूची भेजेगा । नामोद्दिष्ट अधिकारी तदनुसार यह सुनिश्चित करेगा कि सत्यापित सदस्यों के नाम सूची में शामिल कर दिए गए हैं तथा गणना की तारीख से इन्हें प्रबंधन के रोल पर ले लिया गया है। उन सभी सदस्यों के नाम सूची में से निकाल दिए जाएंगे जो गणना की तारीख से प्रबंधन के रोल पर नहीं रखे गए हैं।

5. इसके उपरांत नामोद्दिष्ट अधिकारी संबंधित संघ को लिखित रुप में सूचित करेगा कि उनके बैंक के संबंधित सदस्यों की सत्यापित सूची निर्धारित समय एवं स्थान पर संघ के प्रतिनिधियों द्वारा जांच करने के लिए तैयार है। संघ को इसी समय यह भी सूचित किया जाएगा कि अन्य संघ के सदस्यों की सत्यापित सूची की जांच के बाद वे लिखित में इन सूचियों की प्रविष्टियों के संबंध में अपनी विशेष आपत्ति, अगर कोई हो, जांच करने के 15 दिन के भीतर भिजवा देंगे। संघ को यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि अधिक सदस्यता जैसी सामान्य एवं अनिश्चित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा आपत्तियों में उन व्यक्तियों के नाम दिए जाएंगे जिनकी संघ की सदस्यता पर आपत्ति की गई है तथा इसका कारण भी बताया जाएगा। (संघ के प्रतिनिधियों को नामोद्दिष्ट अधिकारियों की उपस्थिति में उन्हें दिखाई गई सत्यापित सूचियों में से नोट करने की अनुमति होगी, तथापि, उन्हें न तो कोई सूची ले जाने की अनुमति होगी और न ही सूचियों की कोई प्रति दी जाएगी।)

6. सदस्यों के नामों के संबंध में संघ से प्राप्त आपत्तियों को संबंधित अंचल/क्षेत्र के सत्यापन अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। सत्यापन अधिकारी प्रणालीबद्ध नमूना चयन पद्धति के आधार पर सदस्यों से व्यक्तिगत रुप से पूछताछ करेगा।

(i) अगर किसी संघ द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सूची में 500 अथवा इससे कम सदस्यों के नाम दिए गए हों, व्यक्तिगत रुप से पूछताछ के योग्य व्यक्तियों की संख्या 20 प्रतिशत होनी चाहिए बशर्ते यह संख्या 100 से कम न हो।

(ii) अगर किसी संघ द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सूची में 500 से अधिक परन्तु 1000 से अनधिक नाम दिए गए हैं, तो व्यक्तिगत रुप से पूछताछ किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 15 प्रतिशत होनी चाहिए बशर्ते यह संख्या 100 से कम न हो।

(iii) अगर किसी संघ द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सूची में 1000 से अधिक परन्तु 2000 से अनधिक नाम दिए गए हैं, व्यक्तिगत रुप से पूछताछ किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 प्रतिशत होनी चाहिए बशर्ते यह संख्या 150 से कम न हो।

(iv) अगर किसी संघ द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सूची में 2000 से अधिक परन्तु 5000 से अनधिक नाम दिए गए हों, व्यक्तिगत रुप से पूछताछ किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 5 प्रतिशत होनी चाहिए बशर्ते यह संख्या 200 से कम न हो; और

(v) अगर किसी संघ द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सूची में 5000 से अधिक नाम दिए गए हैं, व्यक्तिगत रुप से पूछताछ किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 2 प्रतिशत होनी चाहिए बशर्ते यह संख्या 250 से कम न हो ।

प्रणालीबद्ध नमूना का अर्थ है नमूना चयन अंतराल कहे जाने वाले समान अंतरालों में व्यक्तियों को लेते हुए एक सूची में से नमूना चयन। नमूना चयन इस प्रकार होना चाहिए:

आपत्ति सूची में व्यक्तियों की कुल संख्या
नमूना में व्यक्तियों की संख्या

इस प्रकार, उदाहरणार्थ, यदि आपत्ति सूची में 400 अधिकारी हैं और 100 अधिकारियों का एक नमूना चुना जाना है तो सत्यापन अधिकारी को सूची से प्रत्येक (4(x)/1(x)th) या (चौथे) कामगार का चयन करना चाहिए। तथापि, यह आवश्यक नहीं है कि सभी मामलों में सूची के चौथे नाम से चयन शुरु हो, प्रथम नमूना सूची का या तो प्रथम, या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ नाम हो सकता है। इस प्रकार, उदाहरणार्थ, यदि प्रथम नाम प्रथम नमूने के तौर पर लिया जाता है तो तदनन्तर नमूने पांचवें नौवें या तेरहवें नाम होंगें : तथापि, यदि प्रथम नमूने के रुप में दूसरा नाम लिया जाता है तो तदनन्तर नमूने सूची के छठे ,दसवें या चौदहवें नाम होंगे।

व्यक्तिगत पूछताछ के लिए चुने गए व्यक्तियों से अन्य बातों के साथ-साथ यह पूछा जाना चाहिए कि वे किसी खास संघ के सदस्य हैं या नहीं और कि उन्होंने संगणना की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर तीन महीने के लिए अभिदानों का भुगतान किया है या नहीं और यदि हां, तो भुगतान की गई अभिदान की राशि और किन-किन महीनों में इनका भुगतान किया गया। सत्यापन अधिकारी व्यक्तिगत रुप से पूछताछ किए गए सदस्यों की सूची तैयार करेगा जिसमें उनकी टिकट संख्याएं, उस अनुभाग का नाम, जहां वे कार्य करते हैं और व्यक्तिगत पूछताछ के परिणाम दिए गए हों।

7. जहां नमूना जांच से यह पता चलता है कि पूछताछ किए गए कतिपय सदस्य संघ की सदस्यता नकारते हैं, सदस्यों की इसकी सूची को इस तरह संशोधित किया जाए कि उसमें से उन सदस्यों की वास्तविक संख्या को कम कर दिया जाए जो संघ की सदस्यता को नकारते हैं। यदि व्यक्ति, जो पूछताछ किए जाने पर उस संघ की अपनी सदस्यता से इंकार करता है जो उन्हें अपना सदस्य होने का दावा करता है और सत्यापन अधिकारी को यह सूचित करता हैं कि वह किसी अन्य संघ का सदस्य है, तो सत्यापन अधिकारी सदस्यों की सूची और उस संघ के रिकार्ड से उसकी सदस्यता की जांच करेगा और अपनी सूची को तदनुसार समायोजित करेगा, अर्थात् , उसके नाम अन्य संघ की सूची में जोड़े जाएंगे, यदि वे पहले से ही उसमें शामिल न हों और ऊपर वर्णित तरीके से दावाकर्ता संघ की सूची से हटा दिया जाएगा ।

8. उपर्युक्त पैराग्राफ 6 में यथा वर्णित व्यक्तिगत सत्यापन करते समय सत्यापन अधिकारी किसी भी संघ या प्रबंधन के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं देगा।

9. सत्यापन कार्य के पूरा हो जाने पर सत्यापन अधिकारी नामोद्दिष्ट अधिकारी को रिपोर्ट देगा जो उसपर प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अधिकारी के संगठन का निर्धारण करेगा। जिसकी संख्या अधिक होगी। अधिक संख्या वाले अधिकारी संघ के नाम की जानकारी अंतिम रुप से केन्द्रीय सरकार को उसके बाद दी जाएगी ।

अपीलीय प्राधिकरण

10. यदि किसी संघ को किसी संघ की अधिसंख्यता स्थिति, जैसाकि नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है, पर आपत्ति है तो वे लिखित रुप में असहमति/आपत्ति का विशेष कारण देते हुए पदनामित अधिकारी द्वारा दिए गए ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर कार्यपालक निदेशक और उनकी अनुपस्थिति में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास अपील दायर कर सकता है जो अपीलीय प्राधिकारी होगा ।

उसके पश्चात अपीलीय प्राधिकारी या तो जांच के संचालन से या फिर रिकार्डों के अध्ययन से 15 दिन से अनधिक अवधि के भीतर सकारण आदेश जारी करेगा। अपीलीय प्राधिकारी ऐसे अपील दायर करने वाले संघ को सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकते हैं। ऐसे प्रत्येक आदेश की प्रति इस नामोद्दिष्ट अधिकारी के पास भेजी जाएगी जो अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक हो तो अंतिम सूची को संशोधित , परिशोधित करेगा ।

अधिसंख्यता वाले संघ से पैनल प्राप्त करना

11. केन्द्र सरकार बैंक प्रबंधन से 30 दिन के भीतर बैंक के बोर्ड में अधिकारी कर्मचारी निदेशक की नियुक्ति के लिए अधिसंख्य अधिकारी संघ द्वारा विधिवत रुप से चुने गए पदधारियों के 3(तीन) नाम का अधिमान क्रम वाला पैनल प्राप्त करने को कहेगा। केन्द्र सरकार अपने विवेक से उत्तर भेज पाने में असफल रहने वाले और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पैनल नहीं भेजने वाले संघ के विशेष अनुरोध पर अन्य 60 दिन की अधिकतम अवधि तक समय सीमा को बढ़ा सकती है। केन्द्रीय सरकार बैंक प्रबंधन से कह सकती है कि वह अगले बड़े संघ से तीन नामों का एक पैनल प्राप्त करें ।

12. बैंक अधिसंख्या संघ अथवा अन्य संघ से नामों का ऐसा पैनल प्रत्येक नामों के विवरण सहित भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक, सूची में प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित सूचना भी भेजेगा :-

(i) पूर्ण जीवनवृत्त

(ii) गत 5 वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों की प्रतियां

(iii) ऐसा प्रमाण पत्र कि सतर्कता/अनुशासनिक मामला लंबित अथवा अपेक्षित नहीं है

(iv) ऐसा प्रमाण पत्र कि सम्बद्ध कानून/योजना के उपबंधों के अनुसार बैंक के बोर्ड में निदेशक के रुप में नियुक्त किए जाने के लिए वे अयोग्य नहीं हैं।

(v) बैंक के मुख्य कार्यपालक द्वारा सत्यनिष्ठा और आचरण चरित्र प्रमाण पत्र" ।

[सं. 4/1/99-बी ओ I(i)]

शेखर अग्रवाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल योजना दिनांक 16 नवम्बर, 1970 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3793 के तहत प्रकाशित की गई थी और तदनन्तर निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित की गई थी :—

क्र० सं०	एस०ओ० सं०	दिनांक
1.	67(अ)	17.11.1971
2.	192(अ)	15.03.1972
3.	575(अ)	04.09.1972
4.	651(अ)	25.09.1972
5.	715(अ)	16.11.1972
6.	3467	19.11.1973
7.	1992	16.06.1975
8.	1088	18.02.1976
9.	421(अ)	21.06.1976
10.	888(अ)	11.11.1970
11.	346(अ)	30.04.1983
12.	144(अ)	01.03.1984
13.	368(अ)	27.04.1985
14.	559(अ)	30.07.1985
15.	783(अ)	25.10.1985
16.	922(अ)	30.12.1985
17.	417(अ)	11.07.1986

18.	1234(अ)	30.12.1988
19.	809(अ)	01.11.1992
20.	289(अ)	03.04.1995
21.	907(अ)	10.11.1995
22.	58(अ)	20.01.2000

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2000

S. O. 934(E).— **In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following further amendments in the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, namely :-**

1. (1) This Scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Second Amendment) Scheme, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970,

(i) in Clause 3, after sub-clause (2), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(3) The director referred to in clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Act, shall be nominated by the Central Government in consultation with the Reserve Bank, after the procedure for verification of membership of officers' associations by whatever name called operating in the nationalised banks and for obtaining a panel of names for appointment of non-workmen employee director on the Boards of nationalised banks as mentioned in the Third Schedule has been followed." ;

(II) after the second Schedule, the following Schedule shall be inserted namely:-

"THE THIRD SCHEDULE
[See Clause 3(3)]

The Central Government shall designate an officer of the bank at the level of General Manager to verify the membership strength of the officers' associations in the nationalised bank to determine which of them are enjoying majority status.

2. The Designated Officer shall ask the officers' associations in the bank to produce before him, at the stipulated place and time, within ten days from the date of receipt of the first notice, a list of their members, in triplicate, in different branches or offices who have paid subscription for at least three months during the period of first six months of the preceding year from the date on which the term of the existing officer employee director expires or the position has fallen vacant due to some other reason. The date of reckoning shall be the first day of the month in which the term of the existing officer employee director expires or the position has fallen vacant due to some other reason. On receipt of the list, the Designated Officer shall appoint Verification Officers of the level of Deputy General Manager/Assistant General Manager for every zone/region, who shall conduct physical verification, himself or by an officer nominated by him, of the membership strength of each officers' association on the basis of all or any of its following records:-

(i) Membership-cum-subscription register.

(ii) Counter-foils of receipts.

(iii) Cash and Accounts Books.

(iv) Bank books.

(v) Copy of its Constitution.

(vi) Registration Certificate.(if registered)

(vii) Affiliation certificate and payment receipts if the association is affiliated to any All-India or State Federation or Central Organisation.

(viii) Copy of the latest annual return submitted to the Registrar of Trade Unions.

(ix) List of office-bearers, and

(x) Minutes book.

3. If an association fails to produce the list of its members and other records, a second and final notice shall be given by the

Designated Officer (by Registered Post /Acknowledgement Due) asking it to produce them at the stipulated place and time within ten days from the date of receipt of the second and final notice. If it again fails to produce them on the second occasion also, no further attempt shall be made to verify its membership. However, in respect of the associations which have submitted the lists and records, the Verification Officer shall examine them and ascertain the number of members who had paid three months' subscription within the period of six months preceding the date of reckoning. This examination shall be 100 per cent and shall be done in the presence of the office-bearers of the association concerned but not in the presence of the office-bearers or representatives of other associations in the bank. While doing the verification of membership, the Verification Officer shall give due consideration to any representations which the association officials might make to him.

4. The Verification Officer shall, thereafter, send to the Designated Officer the list of members of the officers' associations of the respective zone/region. The Designated Officer shall, therefore, ensure that the names of members thus verified are included in the list and are borne on the rolls of the management on the date of reckoning. All those members whose names are not borne on the rolls of the management on the date of reckoning shall be eliminated from the list.

5. The Designated Officer shall, thereafter, intimate in writing to the association concerned that the verified lists of their respective members in the bank are ready for inspection by the association representative at an appointed time and place. The association shall also at the same time be informed that after inspection of the verified list of members of the other association they should send, in writing, their specific objections, if any, to the entries in these lists, within 15 days of the date of inspection. It should be made clear to the association that general and vague objections like inflated membership shall not be considered, and the objections should give the names of persons whose membership of an association is objected to and the reasons, therefor.

(The association representatives shall be allowed to make notes from the verified lists shown to them in the presence of the Designated Officers; they shall, however, not be allowed to take any of the lists, nor a copy of the lists shall be given to them).

6. The objections received from the association regarding the names of members shall be referred to the Verification Officer for the concerned zone/region. The Verification Officer shall conduct

2809 GI/2000—2

personal interrogation of the members on the basis of systematic sampling system.

(i) If the objection lists furnished by an association consists of 500 or less names of members, the number of persons to be personally interrogated should be 20 per cent, subject to a minimum of 100;

(ii) If the objection list furnished by an association consists of more than 500 but not more than 1,000 names, the number of persons to be personally interrogated should be 15 per cent, subject to a minimum of 100;

(iii) If the objection list furnished by an association consists of more than 1,000 but not more than 2,000 names, the number of persons to be personally interrogated should be 10 per cent, subject to a minimum of 150.

(iv) If the objection list furnished by an association consists of more than 2,000 but not more than 5,000 names, the number of persons to be personally interrogated should be 5 per cent, subject to a minimum of 200; and

(v) If the objection list furnished by a association consists of more than 5,000 names, the number of persons to be personally interrogated should be 2 per cent, subject to a minimum of 250.

A systematic sample means sampling from a list by taking individuals at equally spaced intervals called sampling intervals. The sampling interval should be:

$$\frac{\text{Total number of persons in the objection list}}{\text{Number of persons in the sample}}$$

Thus, for example, if there are 400 officers in the objection list and a sample of 100 officers is to be selected the Verification Officer should select every (4(x)/1(x)th) or 4th worker in the list. It is, however, not necessary that in all cases the selection should begin from the 4th name in the list; the first sample may either be the 1st name in the list; or the second, or the third or the fourth. Thus, for example, if the 1st name is selected as the first sample then subsequent samples will be 5th, 9th or 13th names: if, however, the second name is taken as the first sample the subsequent samples would be 6th, 10th or 14th names in the list.

The persons selected for personal interrogation should among other things be asked whether they are members of a particular association and whether they had paid subscriptions for 3 months within a period of six months from the date of reckoning and, if so, the

amount of subscription paid and the months for which it was paid. The Verification Officer shall make a list of members personally interrogated giving their ticket numbers, names of section where working and the result of personal interrogations.

7. Where the sample check reveals that certain members interrogated deny membership of a association , its list of members may be so modified reducing therefrom the actual number of members who deny membership of the association. If the persons who, on interrogation, deny their membership of the association claiming them as their members and inform the Verification Officer that they are members of a another association , the Verification Officer shall check their membership with the list of members and records of that association and adjust its list accordingly, that is to say, their names shall be added to the list of the other association, if they are not already included in it, and excluded, in the manner mentioned above, from the list of the claimant association .

8. While conducting personal verification as mentioned in paragraph 6 above, the Verification Officer shall not allow the representatives of any association or management to be present.

9. On completion of the verification work, the Verification Officers shall furnish a report to the Designated Officer who thereon , based on the report received determine the officers' association having majority status. The name of the majority status officers' association shall thereon be finally intimated to the Central Government.

Appellate Authority

10. In case any association has objection to the majority status of an association so determined by the Designated Officer they may, in writing, giving specific reasons for disagreement/objection file an appeal within a period of 15 days from the date of issue of such order by the Designated Officer to the Executive Director and in his absence the Chairman and Managing Director, of the bank who shall be the Appellate Authority. The Appellate Authority shall then decide either by conduct of inquiry or by perusal of records and pass a speaking order within a period of not more than 15 days. The Appellate Authority may give an opportunity of hearing to the association who has filed such appeal. Copy of each such order shall be sent to the Designated Officer who shall therefore modify, rectify the final list if need be keeping in view the order of the Appellate Authority.

Obtaining a panel from majority Association

11. The Central Government shall ask the bank management to obtain a panel of 3 (three) names of office bearers, in the order of preference , duly elected by the majority officers' association for appointment of officer employee director on the bank's board, within 30 days. Central Government may at its discretion increase the time limit upto a maximum period of another 60 days on a specific request of the association. In case the association fails to respond and does not send the panel within the specified time, the Central Government may ask the bank management to obtain a panel of three names from the next largest association .

12. The bank may forward such panel of names from the majority association or other association alongwith the particulars of each of the names. In addition, the bank shall also send following information in respect of each of the persons in the panel:-

(i) complete bio-data;

(ii) copies of the Confidential Reports for the last 5 years;

(iii) certificate to the effect that no vigilance/disciplinary case is pending or being contemplated.

(iv) certificate to the effect that they are not disqualified from being appointed as director on the bank's board as per the provisions of the relevant statute/scheme;

(v) integrity and moral character certificate by the bank's chief executive."

[No 4/1/99-B.O.-I(i)]

SHEKHAR AGARWAL, Jt. Secy.

Foot Note.—Principal Scheme was published vide notification No. S.O. 3793 dated 16th November, 1970 and subsequently amended vide the following notifications :—

Sr.No.	S.O. No.	Date
1.	67(E)	17.11.1971
2.	192(E)	15.03.1972
3.	575(E)	04.09.1972
4.	651(E)	25.09.1972
5.	715(E)	16.11.1972
6.	3467	19.11.1973
7.	1992	16.06.1975
8.	1088	18.02.1976
9.	421(E)	21.06.1976
10.	888(E)	11.11.1980
11.	346(E)	30.04.1983
12.	144(E)	01.03.1984
13.	368(E)	27.04.1985
14.	559(E)	30.07.1985
15.	783(E)	25.10.1985
16.	922(E)	30.12.1985
17.	417(E)	11.07.1986
18.	1234(E)	30.12.1988
19.	809(E)	01.11.1992
20.	289(E)	03.04.1995
21.	907(E)	10.11.1995

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2000

का. आ. 935(अ).— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात, एतद्द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 में फिर निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) स्कीम, 2000 होगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 में,

(i) खंड 3 में, उप खंड (2) के बाद निम्नलिखित उप खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत किसी भी नाम के अधिकारी संघों की सदस्यता के सत्यापन तथा तीसरी अनुसूची में उल्लिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर-कामगार कर्मचारी निदेशक की नियुक्ति हेतु नामों का पेनल प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के बाद अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (च)में उल्लिखित निदेशक का केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श करके नामित किया जाएगा।"

(ii) दूसरी अनुसूची के बाद निम्नलिखित अनुसूची शामिल की जाएगी , अर्थात्:-

"तीसरी अनुसूची

[खंड 3(3) देखें]

केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारी संघों की सदस्यता संख्या के सत्यापन के लिए महा प्रबंधक के स्तर के बैंक अधिकारी को नामोद्दिष्ट करेगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें से सर्वाधिक संख्या किसमें है।

2. नमोद्दिष्ट अधिकारी बैंक के अधिकारी संघ से पहला नोटिस प्राप्त होने की तारीख से दस दिन के भीतर निर्धारित स्थान एवं समय पर तीन प्रतियों में विभिन्न शाखाओं एवं कार्यालयों के उन सदस्यों की सूची देने के लिए कहेगा, जिन्होंने मौजूदा अधिकारी कर्मचारी निदेशक का कार्यकाल पूरा होने या किसी अन्य कारण से पद रिक्त होने की तारीख से पिछले वर्ष के प्रथम छः महीनों की अवधि के दौरान कम से कम तीन महीनों का अंशदान चुका

दिया हो । गणना की तारीख उस महीने का पहला दिन होगा, जिसमें मौजूदा अधिकारी कर्मचारी निदेशक का कार्य काल पूरा होता हो या किसी अन्य कारण से पद रिक्त हुआ हो। सूची प्राप्त होने पर नामोद्दिष्ट अधिकारी प्रत्येक अंचल/क्षेत्र के लिए उप महा प्रबंधक/सहायक महा प्रबंधक के स्तर के सत्यापन अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जो स्वयं या अपने द्वारा नामित अधिकारी द्वारा निम्नलिखित किसी एक या सभी रिकार्डों के आधार पर प्रत्येक अधिकारी संघ की सदस्यता संख्या का वास्तविक सत्यापन करेगा:-

(i) सदस्यता-सह-अंशदान रजिस्टर

(ii) रसीदों के प्रति - पत्रे (काउन्टर फौइल्स)

(iii) रोकड़ एवं खाते

(iv) बैंक खाते

(v) इसके संविधान की प्रति

(vi) पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि पंजीकृत है)

(vii) यदि संघ किसी अखिल भारत या राज्य संघ या केन्द्रीय संगठन से संबद्ध है तो संबद्धता प्रमाणपत्र एवं भुगतान की रसीदें

(viii) ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार को भेजी गई नवीनतम वार्षिक विवरणी की प्रति

(ix) पदधारियों की सूची, और

(x) कार्यवृत्त पुस्तक ।

3. अगर कोई संघ अपने सदस्यों की सूची एवं अन्य अभिलेख पेश करने में असफल होता है, नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा उसे एक दूसरा तथा अंतिम नोटिस (पंजीकृत डाक/पावती सहित) दिया जाएगा जिसमें दूसरे एवं अंतिम नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर निर्धारित स्थान एवं समय पर इसे इन दस्तावेजों को पेश करने के लिए कहा जाएगा । अगर ये दूसरी बार भी इन्हें पेश करने में असफल होते हैं, तो इनकी सदस्यता का सत्यापन करने के लिए और कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। तथापि, उन संघों के संबंध में जिन्होंने सूचियां एवं अभिलेख प्रस्तुत कर दिए हैं, सत्यापन अधिकारी इनकी जांच करेगा तथा उन सदस्यों की संख्या निकालेगा जिन्होंने तीन माह के अभिदान का भुगतान गणना करने की तारीख के पूर्ववर्ती 6 माह की अवधि के दौरान किया है। यह जांच 100 प्रतिशत की जाएगी तथा यह संबंधित संघ के पदधारियों के समक्ष की जाएगी, लेकिन यह जांच बैंक में अन्य संघों के प्रतिनिधियों अथवा पदधारियों के समक्ष नहीं की जाएगी। सदस्यता का सत्यापन करते समय सत्यापन अधिकारी संघ के पदधारियों द्वारा किए गए किसी भी अभ्यावेदन पर उचित विचार करेगा।

4. सत्यापन अधिकारी इसके उपरान्त नामोद्दिष्ट अधिकारी को संबंधित अंचल/क्षेत्र की अधिकारी संघों के सदस्यों की सूची भेजेगा । नामोद्दिष्ट अधिकारी तदनुसार यह सुनिश्चित करेगा कि सत्यापित सदस्यों के नाम सूची में शामिल कर दिए गए हैं तथा गणना की तारीख से इन्हें प्रबंधन के रोल पर ले लिया गया है। उन सभी सदस्यों के नाम सूची में से निकाल दिए जाएंगे जो गणना की तारीख से प्रबंधन के रोल पर नहीं रखे गए हैं।

5. इसके उपरांत नामोद्दिष्ट अधिकारी संबंधित संघ को लिखित रुप में सूचित करेगा कि उनके बैंक के संबंधित सदस्यों की सत्यापित सूची निर्धारित समय एवं स्थान पर संघ के प्रतिनिधियों द्वारा जांच करने के लिए तैयार है। संघ को इसी समय यह भी सूचित किया जाएगा कि अन्य संघ के सदस्यों की सत्यापित सूची की जांच के बाद वे लिखित में इन सूचियों की प्रविष्टियों के संबंध में अपनी विशेष आपत्ति, अगर कोई हो, जांच करने के 15 दिन के भीतर भिजवा देंगे। संघ को यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि अधिक सदस्यता जैसी सामान्य एवं अनिश्चित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा आपत्तियों में उन व्यक्तियों के नाम दिए जाएंगे जिनकी संघ की सदस्यता पर आपत्ति की गई है तथा इसका कारण भी बताया जाएगा। (संघ के प्रतिनिधियों को नामोद्दिष्ट अधिकारियों की उपस्थिति में उन्हें दिखाई गई सत्यापित सूचियों में से नोट करने की अनुमति होगी, तथापि, उन्हें न तो कोई सूची ले जाने की अनुमति होगी और न ही सूचियों की कोई प्रति दी जाएगी।)

6. सदस्यों के नामों के संबंध में संघ से प्राप्त आपत्तियों को संबंधित अंचल/क्षेत्र के सत्यापन अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। सत्यापन अधिकारी प्रणालीबद्ध नमूना चयन पद्धति के आधार पर सदस्यों से व्यक्तिगत रुप से पूछताछ करेगा।

(i) अगर किसी संघ द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सूची में 500 अथवा इससे कम सदस्यों के नाम दिए गए हों, व्यक्तिगत रुप से पूछताछ के योग्य व्यक्तियों की संख्या 20 प्रतिशत होनी चाहिए बशर्ते यह संख्या 100 से कम न हो।

(ii) अगर किसी संघ द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सूची में 500 से अधिक परन्तु 1000 से अनधिक नाम दिए गए हैं, तो व्यक्तिगत रुप से पूछताछ किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 15 प्रतिशत होनी चाहिए बशर्ते यह संख्या 100 से कम न हो।

(iii) अगर किसी संघ द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सूची में 1000 से अधिक परन्तु 2000 से अनधिक नाम दिए गए हैं, व्यक्तिगत रुप से पूछताछ किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 प्रतिशत होनी चाहिए बशर्ते यह संख्या 150 से कम न हो।

(iv) अगर किसी संघ द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सूची में 2000 से अधिक परन्तु 5000 से अनधिक नाम दिए गए हों, व्यक्तिगत रुप से पूछताछ किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 5 प्रतिशत होनी चाहिए बशर्ते यह संख्या 200 से कम न हो; और

(v) अगर किसी संघ द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सूची में 5000 से अधिक नाम दिए गए हैं, व्यक्तिगत रुप से पूछताछ किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 2 प्रतिशत होनी चाहिए बशर्ते यह संख्या 250 से कम न हो ।

प्रणालीबद्ध नमूना का अर्थ है नमूना चयन अंतराल कहे जाने वाले समान अंतरालों में व्यक्तियों को लेते हुए एक सूची में से नमूना चयन। नमूना चयन इस प्रकार होना चाहिए:

आपत्ति सूची में व्यक्तियों की कुल संख्या
नमूना में व्यक्तियों की संख्या

इस प्रकार, उदाहरणार्थ, यदि आपत्ति सूची में 400 अधिकारी हैं और 100 अधिकारियों का एक नमूना चुना जाना है तो सत्यापन अधिकारी को सूची से प्रत्येक (4(x)/1(x)th) या (चौथे) कामगार का चयन करना चाहिए। तथापि, यह आवश्यक नहीं है कि सभी मामलों में सूची के चौथे नाम से चयन शुरु हो, प्रथम नमूना सूची का या तो प्रथम, या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ नाम हो सकता है। इस प्रकार, उदाहरणार्थ, यदि प्रथम नाम प्रथम नमूने के तौर पर लिया जाता है तो तदनन्तर नमूने पांचवें नौवें या तेरहवें नाम होंगें : तथापि, यदि प्रथम नमूने के रुप में दूसरा नाम लिया जाता है तो तदनन्तर नमूने सूची के छठे ,दसवें या चौदहवें नाम होंगे।

व्यक्तिगत पूछताछ के लिए चुने गए व्यक्तियों से अन्य बातों के साथ-साथ यह पूछा जाना चाहिए कि वे किसी ख़ास संघ के सदस्य हैं या नहीं और कि उन्होंने संगणना की तारीख़ से छः महीने की अवधि के भीतर तीन महीने के लिए अभिदानों का भुगतान किया है या नहीं और यदि हां, तो भुगतान की गई अभिदान की राशि और किन-किन महीनों में इनका भुगतान किया गया। सत्यापन अधिकारी व्यक्तिगत रुप से पूछताछ किए गए सदस्यों की सूची तैयार करेगा जिसमें उनकी टिकट संख्याएं, उस अनुभाग का नाम, जहां वे कार्य करते हैं और व्यक्तिगत पूछताछ के परिणाम दिए गए हों।

7. जहां नमूना जांच से यह पता चलता है कि पूछताछ किए गए कतिपय सदस्य संघ की सदस्यता नकारते हैं, सदस्यों की इसकी सूची को इस तरह संशोधित किया जाए कि उसमें से उन सदस्यों की वास्तविक संख्या को कम कर दिया जाए जो संघ की सदस्यता को नकारते हैं। यदि व्यक्ति, जो पूछताछ किए जाने पर उस संघ की अपनी सदस्यता से इंकार करता है जो उन्हें अपना सदस्य होने का दावा करता है और सत्यापन अधिकारी को यह सूचित करता हैं कि वह किसी अन्य संघ का सदस्य है, तो सत्यापन अधिकारी सदस्यों की सूची और उस संघ के रिकार्ड से उसकी सदस्यता की जांच करेगा और अपनी सूची को तदनुसार समायोजित करेगा, अर्थात् , उसके नाम अन्य संघ की सूची में जोड़े जाएंगे, यदि वे पहले से ही उसमें शामिल न हों और ऊपर वर्णित तरीके से दावाकर्ता संघ की सूची से हटा दिया जाएगा ।

8. उपर्युक्त पैराग्राफ 6 में यथा वर्णित व्यक्तिगत सत्यापन करते समय सत्यापन अधिकारी किसी भी संघ या प्रबंधन के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं देगा।

9. सत्यापन कार्य के पूरा हो जाने पर सत्यापन अधिकारी नामोद्दिष्ट अधिकारी को रिपोर्ट देगा जो उसपर प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अधिकारी के संगठन का निर्धारण करेगा। जिसकी संख्या अधिक होगी। अधिक संख्या वाले अधिकारी संघ के नाम की जानकारी अंतिम रुप से केन्द्रीय सरकार को उसके बाद दी जाएगी ।

अपीलीय प्राधिकरण

10. यदि किसी संघ को किसी संघ की अधिसंख्यता स्थिति, जैसाकि नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है, पर आपत्ति है तो वे लिखित रुप में असहमति/आपत्ति का विशेष कारण देते हुए पदनामित अधिकारी द्वारा दिए गए ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर कार्यपालक निदेशक और उनकी अनुपस्थिति में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास अपील दायर कर सकता है जो अपीलीय प्राधिकारी होगा ।

उसके पश्चात अपीलीय प्राधिकारी या तो जांच के संचालन से या फिर रिकार्डों के अध्ययन से 15 दिन से अनधिक अवधि के भीतर सकारण आदेश जारी करेगा। अपीलीय प्राधिकारी ऐसे अपील दायर करने वाले संघ को सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकते हैं। ऐसे प्रत्येक आदेश की प्रति इस नामोद्दिष्ट अधिकारी के पास भेजी जाएगी जो अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक हो तो अंतिम सूची को संशोधित परिशोधित करेगा ।

अधिसंख्यता वाले संघ से पैनल प्राप्त करना

11. केन्द्र सरकार बैंक प्रबंधन से 30 दिन के भीतर बैंक के बोर्ड में अधिकारी कर्मचारी निदेशक की नियुक्ति के लिए अधिसंख्य अधिकारी संघ द्वारा विधिवत रुप से चुने गए पदधारियों के 3(तीन) नाम का अधिमान क्रम वाला पैनल प्राप्त करने को कहेगा। केन्द्र सरकार अपने विवेक से उत्तर भेज पाने में असफल रहने वाले और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पैनल नहीं भेजने वाले संघ के विशेष अनुरोध पर अन्य 60 दिन की अधिकतम अवधि तक समय सीमा को बढ़ा सकती है। केन्द्रीय सरकार बैंक प्रबंधन से कह सकती है कि वह अगले बड़े संघ से तीन नामों का एक पैनल प्राप्त करें ।

12. बैंक अधिसंख्या संघ अथवा अन्य संघ से नामों का ऐसा पैनल प्रत्येक नामों के विवरण सहित भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक, सूची में प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित सूचना भी भेजेगा :-

(i) पूर्ण जीवनवृत्त

(ii) गत 5 वर्षों की गोपनीय रिपोर्टों की प्रतियां

(iii) ऐसा प्रमाण पत्र कि सतर्कता/अनुशासनिक मामला लंबित अथवा अपेक्षित नहीं है

(iv) ऐसा प्रमाण पत्र कि सम्बद्ध कानून/योजना के उपबंधों के अनुसार बैंक के बोर्ड में निदेशक के रुप में नियुक्त किए जाने के लिए वे अयोग्य नहीं हैं।

(v) बैंक के मुख्य कार्यपालक द्वारा सत्यनिष्ठा और आचरण चरित्र प्रमाण पत्र "।

[सं. 4/1/99-बी ओ I(ii)]

शेखर अग्रवाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल योजना दिनांक 4 नवम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या का. आ. 875(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और तदनन्तर निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित की गई थी :—

क्र0 सं0	एस0ओ0 सं0	दिनांक
1.	345(अ)	30.04.1983
2.	145(अ)	01.03.1984
3.	369(अ)	27.04.1985
4.	560(अ)	30.07.1985
5.	923(अ)	30.12.1985
6.	418(अ)	11.07.1986
7.	1235(अ)	30.12.1988
8.	810(अ)	01.11.1992
9.	290(अ)	03.04.1995
10.	908(अ)	10.11.1995
11.	59(अ)	20.01.2000

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2000

S.O. 935(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following further amendments in the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, namely :-

1. (1) This Scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Second Amendment) Scheme, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980,

(i) in Clause 3, after sub-clause (2), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(3) The director referred to in clause (f) of sub-section (3) of section 9 of the Act, shall be nominated by the Central Government in consultation with the Reserve Bank, after the procedure for verification of membership of officers' associations by whatever name called operating in the nationalised banks and for obtaining a panel of names for appointment of non-workmen employee director on the Boards of nationalised banks as mentioned in the Third Schedule has been followed." ;

(ii) after the second Schedule, the following Schedule shall be inserted namely:-

"THE THIRD SCHEDULE
[See Clause 3(3)]

The Central Government shall designate an officer of the bank at the level of General Manager to verify the membership strength of the officers' associations in the nationalised bank to determine which of them are enjoying majority status.

2. The Designated Officer shall ask the officers' associations in the bank to produce before him, at the stipulated place and time, within ten days from the date of receipt of the first notice, a list of their members, in triplicate, in different branches or offices who have paid subscription for at least three months during the period of first six months of the preceding year from the date on which the term of the existing officer employee director expires or the position has fallen vacant due to some other reason. The date of reckoning shall be the first day of the month in which the term of the existing officer employee director expires or the position has fallen vacant due to some other reason. On receipt of the list, the Designated Officer shall

appoint Verification Officers of the level of Deputy General Manager/Assistant General Manager for every zone/region, who shall conduct physical verification, himself or by an officer nominated by him, of the membership strength of each officers' association on the basis of all or any of its following records:-

(i) Membership-cum-subscription register.

(ii) Counter-foils of receipts.

(iii) Cash and Accounts Books.

(iv) Bank books.

(v) Copy of its Constitution.

(vi) Registration Certificate.(if registered)

(vii) Affiliation certificate and payment receipts if the association is affiliated to any All-India or State Federation or Central Organisation.

(viii) Copy of the latest annual return submitted to the Registrar of Trade Unions.

(ix) List of office-bearers, and

(x) Minutes book.

3. If an association fails to produce the list of its members and other records, a second and final notice shall be given by the Designated Officer (by Registered Post /Acknowledgement Due) asking it to produce them at the stipulated place and time within ten days from the date of receipt of the second and final notice. If it again fails to produce them on the second occasion also, no further attempt shall be made to verify its membership. However, in respect of the associations which have submitted the lists and records, the Verification Officer shall examine them and ascertain the number of members who had paid three months' subscription within the period of six months preceding the date of reckoning. This examination shall be 100 per cent and shall be done in the presence of the office-bearers of the association concerned but not in the presence of the office-bearers or representatives of other associations in the bank. While doing the verification of membership, the Verification Officer shall give due consideration to any representations which the association officials might make to him.

4. The Verification Officer shall, thereafter, send to the Designated Officer the list of members of the officers' associations of the respective zone/region. The Designated Officer shall, therefore, ensure that the names of members thus verified are included in the list and are borne on the rolls of the management on the date of reckoning. All those members whose names are not borne on the rolls of the management on the date of reckoning shall be eliminated from the list.

5. The Designated Officer shall, thereafter, intimate in writing to the association concerned that the verified lists of their respective members in the bank are ready for inspection by the association representative at an appointed time and place. The association shall also at the same time be informed that after inspection of the verified list of members of the other association they should send, in writing, their specific objections, if any, to the entries in these lists, within 15 days of the date of inspection. It should be made clear to the association that general and vague objections like

inflated membership shall not be considered, and the objections should give the names of persons whose membership of an association is objected to and the reasons, therefor.

(The association representatives shall be allowed to make notes from the verified lists shown to them in the presence of the Designated Officers; they shall, however, not be allowed to take any of the lists, nor a copy of the lists shall be given to them).

6. The objections received from the association regarding the names of members shall be referred to the Verification Officer for the concerned zone/region. The Verification Officer shall conduct personal interrogation of the members on the basis of systematic sampling system.

(i) If the objection lists furnished by an association consists of 500 or less names of members, the number of persons to be personally interrogated should be 20 per cent, subject to a minimum of 100;

(II) If the objection list furnished by an association consists of more than 500 but not more than 1,000 names, the number of persons to be personally interrogated should be 15 per cent, subject to a minimum of 100;

(iii) If the objection list furnished by an association consists of more than 1,000 but not more than 2,000 names, the number of persons to be personally interrogated should be 10 per cent, subject to a minimum of 150.

(Iv) If the objection list furnished by an association consists of more than 2,000 but not more than 5,000 names, the number of persons to be personally interrogated should be 5 per cent, subject to a minimum of 200; and

(v) If the objection list furnished by a association consists of more than 5,000 names, the number of persons to be personally interrogated should be 2 per cent, subject to a minimum of 250.

A systematic sample means sampling from a list by taking individuals at equally spaced intervals called sampling intervals. The sampling interval should be:

$$\frac{\text{Total number of persons in the objection list}}{\text{Number of persons in the sample}}$$

Thus, for example, if there are 400 officers in the objection list and a sample of 100 officers is to be selected the Verification Officer should select every (4(x)/1(x)th) or 4th worker in the list. It is, however, not necessary that in all cases the selection should begin from the 4th name in the list; the first sample may either be the 1st name in the list; or the second, or the third or the fourth. Thus, for example, if the 1st name is selected as the first sample then subsequent samples will be 5th, 9th or 13th names: if, however, the second name is taken as the first sample the subsequent samples would be 6th, 10th or 14th names in the list.

The persons selected for personal interrogation should among other things be asked whether they are members of a particular association and whether they had paid subscriptions for 3 months within a period of six

months from the date of reckoning and, if so, the amount of subscription paid and the months for which it was paid. The Verification Officer shall make a list of members personally interrogated giving their ticket numbers, names of section where working and the result of personal interrogations.

7. Where the sample check reveals that certain members interrogated deny membership of a association , its list of members may be so modified reducing therefrom the actual number of members who deny membership of the association. If the persons who, on interrogation, deny their membership of the association claiming them as their members and inform the Verification Officer that they are members of a another association , the Verification Officer shall check their membership with the list of members and records of that association and adjust its list accordingly, that is to say, their names shall be added to the list of the other association, if they are not already included in it, and excluded, in the manner mentioned above, from the list of the claimant association .

8. While conducting personal verification as mentioned in paragraph 6 above, the Verification Officer shall not allow the representatives of any association or management to be present.

9. On completion of the verification work, the Verification Officers shall furnish a report to the Designated Officer who thereon based on the report received determine the officers' association having majority status. The name of the majority status officers' association shall thereon be finally intimated to the Central Government.

Appellate Authority

10. In case any association has objection to the majority status of an association so determined by the Designated Officer they may, in writing, giving specific reasons for disagreement/objection file an appeal within a period of 15 days from the date of issue of such order by the Designated Officer to the Executive Director and in his absence the Chairman and Managing Director, of the bank who shall be the Appellate Authority. The Appellate Authority shall then decide either by conduct of inquiry or by perusal of records and pass a speaking order within a period of not more than 15 days. The Appellate Authority may give an opportunity of hearing to the association who has filed such appeal. Copy of each such order shall be sent to the Designated Officer who shall therefore modify, rectify the final list if need be keeping in view the order of the Appellate Authority.

Obtaining a panel from majority Association

11. The Central Government shall ask the bank management to obtain a panel of 3 (three) names of office bearers, in the order of preference , duly elected by the majority officers' association for appointment of officer employee director on the bank's board, within 30 days. Central Government may at its discretion increase the time limit upto a maximum period of another 60 days on a specific request of the association. In case the association fails to respond and does not send the panel within the specified time, the Central Government may ask the bank management to obtain a panel of three names from the next largest association .

12. The bank may forward such panel of names from the majority association or other association alongwith the particulars of each of the names. In addition, the bank shall also send following information in respect of each of the persons in the panel:-

(I) complete bio-data;

(II) copies of the Confidential Reports for the last 5 years;

(III) certificate to the effect that no vigilance/disciplinary case is pending or being contemplated.

(Iv) certificate to the effect that they are not disqualified from being appointed as director on the bank's board as per the provisions of the relevant statute/scheme;

(v) integrity and moral character certificate by the bank's chief executive."

[No. 4/1/99-B.O.-I(ii)]

SHEKHAR AGARWAL, Jt. Secy.

Foot Note.—Principal Scheme was published vide notification No. S.O. 875(E) dated 4th November, 1980 and subsequently amended vide the following notifications :—

Sr.No.	S.O. No.	Date
1.	345(E)	30.04.1983
2.	145(E)	01.03.1984
3.	369(E)	27.04.1985
4.	560(E)	30.07.1985
5.	923(E)	30.12.1985
6.	418(E)	11.07.1986
7	1235(E)	30.12.1988
8.	810(E)	01.11.1992
9.	290(E)	03.04.1995
10.	908(E)	10.11.1995
11.	59(E)	20.01.2000

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.